संशोधित

भाग–II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या–FP/UP/ROAD/157254/2022

7– परियोजना/स्कीम का स्थान–	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–731 के किमी0–119.540 से किमी0–121.860 (पुराना चैनेज–117.0 से 119.0) के मध्य 4 लेन पेब्ड सोल्डर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 1.2540 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
(II) जिला	हरदोई।
(III) वन प्रभाग	सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर मे)	1.2540 हे0
(V) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व–भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(VI) हरियाली का घनत्व	0.3 औसत
(VII) प्रजाति–वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल–2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल–4 मीटर भी संलग्न किए जाय)	प्रभावित 152 वृक्षों की प्रजातिवार, ब्यासवार सूचना संलग्न है।
(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नही है।
(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जायें)।	नही
(XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है, यदि हॉ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नही
(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नही
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	हॉ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9–क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहें है।	नही।

10–प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा–	क्षतिपूरक वनीकरण कार्य आगरा वन प्रभाग, आगरा की बाह रेज के अर्न्तगत रामपुर चन्द्रसैनी वन ब्लॉक, 10.0 हे0, विचौला वन ब्लॉक–10.0 हे0 एवं फरेरी वन ब्लॉक 5.0 हे0 अवनत वन ब्लॉक में क्षेत्रफल (25.00 हे0) वन खण्ड भूमि मे रोपण कार्य प्रस्तावित है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्ड का आकर ।	–
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–108 पर संलग्न है।
(III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनूसूची लागत ढांचा आदि।	वन खण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था–आगरा वन प्रभाग, आगरा अवधि–2023–24 से 2026–27 तक लागत रू0–3,06,68,500.0
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू0–3,06,68,500.0
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुर्क्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक व्दारा हस्ताक्षरित किया जायें)	–
11–जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	–
12–विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	598900 हे0
(II) जिले का वन क्षेत्र	11962.141 हे0
(III) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	स्वीकृत मामलों की संख्या–52 क्षेत्रफल–201.0076 हे0।
(IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	1.0 हे0
(ख) वनेत्तर भूमि पर	शून्य
(IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क) वन भूमि पर	388.047 हे0
(ख) वनेत्तर भूमि पर	3283.544 हे0।
13–प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।
तिथिः स्थान–हरदोई	(शशिकान्त अमरेश) प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।